प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[26/2/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 42]

परिशिष्ट - अ (8)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2021

क्रमांक बी-1/18 /2021/2/पांच .... पुलिस थाना विजय नगर इन्दौर के पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 306/2018 धारा 34 मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के संबंध में, पंजीबद्ध किये जाने के दिनांक से 6 माह की अवधि में न्यायालय में अभियोजित नहीं किया जा सका। अतएव कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण में अभियोजन की सीमा के बाद न्यायालय में अभियोजन किये जाने हेतु अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2/ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 61 (2) में प्रावधानित है कि राज्य शासन की विशेष अनुमति के बिना कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन योग्य जारी किसी प्रकरण/ अपराध का संज्ञान नहीं लेंगे, यदि वह उसके पंजीबद्ध किये जाने के दिनांक से 6 माह की अवधि में अभियोजित नहीं किया जाता है।

अतएव राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 61 (2) में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन की नियत सीमा के बाद न्यायालय में अभियोजित किये जाने हेतु विशेष अभियोजन अनुमति प्रदान की जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक- बी-1/18 /2021/2/पांच, भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि

1. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर ।
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर को उनके पत्र क्रमांक/आब./अप./2021/573 दिनांक 08.02.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन हेतु अत्यधिक विलंब क्यों व किस स्तर पर हुआ है, जवाबदेही तय करें।

उप सचिव
म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
(पुलिस) विभाग, पी (1)
मंत्रालय, भोपाल